न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, राशमी जिला चित्तौडगढ

पीठासीन अधिकारी – श्री सुनील शर्मा आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
002/2019	28.06.2019	23.02.2021

अनवान

1. कंकु पिता अम्बालाल जाति जाट आयु बालिग निवासी पुठवाडिया तहसील राशमी जिला चित्तौडगढ।

अपीलांट्स

बनाम

1. मिठु पिता उदयराम मुतबन्ना अम्बालाल जाति जाट आयु बालिग निवासी पुठवाडिया तहसील राशमी जिला चित्तौडगढ।
2. सरपंच ग्राम पंचायत उपरेडा तहसील राशमी जिला चित्तौडगढ।

रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थिति :– अधिवक्ता श्री राजमल सुखवाल अपीलांट।
एकतरफा रेस्पोडेन्ट।

–:: अपील विरूद्ध नामान्तरकरण संख्या 337 जो ग्राम पंचायत उपरेडा तहसील राशमी द्वारा दिनांक 20.07.2006 को फैसल किया गया। बाबत् निरस्त कराया जाने निर्णय नामान्तरकरण संख्या 337 ::–

निर्णय

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि अपीलांट्स ने एक अपील खिलाफ रेस्पोडेन्ट्स के पेश कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का नामान्तकरण आदेश सर्वथा खिलाफ कानुन होकर निरस्त किये जाने योग्य है क्योंकि ग्राम पुठवाडिया पटवार हल्का उपरेडा तहसील राशमी के खातेदार काश्तकार अम्बालाल पिता गिरधारी जाट की मृत्युपंरात पटवार हल्का के पटवारी जी ने नामान्तकरण संख्या 337 दिनांक 14.06.2006 को अपीलान्ट के पक्ष में [illegible] दर्शाते हुए [illegible] पेश किया तथा यह अंकन किया बाद जॉच निर्णित फरमावें। [illegible] सरपंच ग्राम पंचायत उपरेडा ने बिना कोई जॉच किये वक्त बैठक नामान्तरण पेश हुआ खातेदार अम्बालाल फोत हो चुका है मृतक खातेदार जाइन्दा पु. नहीं है पुत्री कंकु (अपीलान्ट) है बेवा फोत हो चुकी है भाई मिठु ने उन [illegible] हक त्याग पत्र अपने पक्ष का पेश किया पुत्री कंकु वक्त बैठक उपस्थित नही हुई है

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Sharma
Date: 2021.03.15 15:21:40 IST
Reason: SelfAttested

परन्तु कोरम की सहमति से खाता विरासत से कंकु पिता अम्बालाल के अनरजिस्टर्ड वसीयतनामानुसार रेस्पोडेन्ट संख्या एक के पक्ष में नामान्तकरण निर्णित फरमा दिया है जिसके विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत है। यह है कि मृतक खातेदार काश्तकार अम्बालाल पिता गिरधारी जाट फोत हुआ उस वक्त प्रथम श्रेणी के वारिसान के तहत अपीलान्ट ही वारिस है चुकि अपीलान्ट ही एक मात्र मृतक खातेदार अम्बानलाल की जाईन्दा पुत्री है मृतक खातेदार का विरासती नामान्तकरण अपीलान्ट के पक्ष में निर्णित किया जाना था परन्तु ग्राम पंचायत उपरेडा रेस्पोडेट संख्या एक से मिलाभगती कर अपने अधिकारों से परे जाकर रेस्पोडेन्ट संख्या एक के पक्ष में अनरजिस्टर्ड वसीयत नामानुसार मिठुलाल मुतबन्ना अम्बा लाल जाट के पक्ष में नामान्तकरण फैसल कर दिया जो निरस्त किये जाने योग्य है। कि मृतक खातेदार अम्बालाल ने कभी रेस्पोडेन्ट संख्या एक के पक्ष में वसीयत नही की है ग्राम पंचायत को वसीयत के आधार पर नामान्तकरण फैसल करने का कोई हक अधिकार नही था फिर भी ग्राम पंचायत अपने अधिकारों से परे जाकर नामान्तकरण फैसल करने में भारी कानुनी भुल की है। यह है कि उक्त नामान्तकरण आदेश अपीलान्ट की अदम मौजुदगी बिना जानकारी व बिना सुनावाई का अवसर दिये पारित किया था। जिस कारण अपीलान्ट को उक्त नामान्तकरण फैसल होने की कोई जानकारी नही थी । उक्त नामान्तकरण आदेश होने की सर्वप्रथम जानकारी अपीलान्ट को दिनांक 03.06.2019 के उसके खाते की जमाबन्दी की नकल पटवारी जी से लेने पर हुई उसके बाद कार्यवाही कराने के लिये पटवारी जी से नामान्तकरण की सत्यप्रतिलिपी प्राप्त करते ही यह अपील अन्दर अवधी पेश की जा रही है। यह है कि नामान्तकरण फैसल होने की दिनांक 20.07.2008 सें नामान्तकरण फैसल होने की जानकारी दिनांक 03.06.2019 तक की समयावधि को मुजरा (कन्डोन) दिलाने हेतु प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम अलग से प्रस्तुत है। अपील अन्दर मियाद में प्रस्तुत है। अतः अपीलान्टस की अपील स्वीकार फरमाई जाकर नामान्तकरण आदेश ग्राम पुठवाडिया नामान्तकरण संख्या 337 दिनांक 20.07.2006 को निरस्त किया जाकर मृतक खातेदार अम्बा के खातेदार दर्ज समस्त आराजीयात का नमान्तकरण केवल अपीलान्टस के पक्ष में ही किये जाने का आदेश प्रदान फरमावे।

इस पर अपीलांट्स की अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोर्डेट को जरिये नोटिस तलब किया गया। दिनांक 13.02.2020 को रेस्पोर्डेट संख्या 1–2 बावजुद सूचना हाजिर नही आने से इनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। रेस्पोर्डेट हाजिर नही होने सेअधिवक्ता अपीलाट द्वारा अपीलमेमों पर की गई बहस को एक तरफा सुना गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Sharma
Date: 2021.03.15 15:21:40 IST
Reason: SelfAttested

हमने अपीलांट द्वारा की गई बहस प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का मय शपथ पत्र के अवलोकन किया गया। अधिवक्ता अपीलांट द्वारा की गई बहस प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम को एक

तरफा सुना गया। मनन किया गया। जिसे स्वीकार किया जाकर एवं अपील में हुये विलम्ब को क्षम्य किये जाता है।

अधिवक्ता अपीलांट ने मृतक खातेदार अम्बालाल पिता गिरधारी जाट का पटवार हल्का उपरेडा द्वारा वक्त नामान्तकरण पर बनाया गया सजरा का अवलोकन कराते हुए बहस समाप्त की गई।

अपील में निर्णय का बिन्दु यह है कि वक्त निर्णय नामान्तरकरण संख्या 337 दिनांक 20.07.2006 ग्राम पंचायत उपरेडा द्वारा मृतक खातेदार अम्बालाल पिता गिरधारी का वारिसाना नामान्तरकरण विधिवत जॉच किया जाकर मृतक खातेदार के वारिसान के नाम पर निर्णित किया गया है अथवा नहीं? नहीं कि स्थिति में मृतक खातेदार अम्बालाल पिता गिरधारी के वारिसान के नाम पर नामान्तरकरण निर्णित नहीं होना अधीनस्थ न्यायालय की विधिक भूल है, इस कारण से अधीनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत उपरेडा के निर्णित नामान्तरकरण संख्या 337 निर्णय दिनांक 20. 07.2006 को अपास्त किया जाना उचित है।

निर्णय हेतु पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया कि अपील पत्रावली में ग्राम पंचायत उपरेडा की ओर से किए गये अपीलाधीन निर्णय से संबंधित पत्रावली नहीं है। न ही ऐसी पत्रावली की प्रमाणित प्रति आदि है तथा न ही पत्रावली से संबंधित कोई विवरण/तथ्य है। लिहाजा ग्राम पंचायत उपरेडा से अपीलाधीन नामान्तरकरण निर्णित करने से संबंधित पत्रावली तलब की गई। जो कि ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत उपरेडा द्वारा पत्रांक दिनांक 18.02.2021 से ग्राम पंचायत के संबंधित दस्तावेज पेश किये गये जो दिनांक 23.02.2021 को रेकार्ड पर लिए गये । विकास अधिकारी ने इस बाबत् अपने पत्र के साथ अपीलधीन नामान्तरकरण निर्णित करने की दिनांक 20.07.2007 को हुई ग्राम पंचायत की बैठक से संबंधित कार्यवाही विवरण की प्रमाणित प्रति पेश की। विकास अधिकारी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन अधिवक्ता अपीलांट को कराया गया।

हमने पत्रावली अपील अपीलांट का आद्योपान्त अवलोकन किया। अपील के समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेज का अवलोकन किया गया। ग्राम पंचायत उपरेडा द्वारा द्वारा निर्णित नामान्तरकरण संख्या 337 दिनांक 20. 07.2006 का अवलोकन किया गया। नामान्तकरण संख्या 337 के कॉलम संख्या 16 में पटवारी रिपोर्ट अनुसार खातेदार श्री अम्बा की मृत्यु हो चुकी है। माफिक सजरानुसार वारिसान के नाम नामान्तकरण भरकर पेश है ग्राम पंचायत बाद जॉच निर्णित फरमावे। पटवार हल्का उपरेडा द्वारा सजरा में वारिसान कंकू पिता अम्बालाल का अंकन किया गया है। जिस पर भू अभिलेख निरीक्षक वृत राशमी द्वारा पटवारी रिपोर्ट की तस्दीक ही किया जाना जाहिर होता है। उस पर अधीनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत उपरेडा ने अपने निर्णय में अंकित किया कि [illegible]दार अम्बालाल फौत हो चुका है मृतक खातेदार के जा[illegible] है [illegible] पुत्री कंकू है बैवा फौत हो चुकी है,भाई मिठु ने अनरजिस्टर्ड हकत्याग [illegible] अपने पक्ष का पेश किया । पुत्री कंकु वक्त बैठक उपस्थित नहीं हुई। परन्तु कोरम की सहमति से खाता विरासत से कंकु पिता अम्बालाल के अनरजिस्टर्ड वसीयत नामान्तकरण

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Sharma
Date: 2021.03.15 15:21:40 IST
Reason: SelfAttested

मिठूलाल मुतबन्ना अम्बालाल जाट के नाम दर्ज करने की स्वीकृति सर्व सम्मति से दी जाती है। ग्राम पंचायत से तलब की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि ग्राम विकास अधिकारी उपरेडा द्वारा नामान्तरकरण तस्दीक करने के संबंध में केवल ग्राम पंचायत की बैठक कार्यवाही विवरण की प्रमाणित प्रति ही होना बताया गया है। ग्राम पंचायत के बैठक कार्यवाही विवरण में अपीलाधीन नामान्तरकरण का अंकन ना होकर मात्र नामान्तकरण रजिस्टर में अंकन किया हुआ है। इसके अलावा अन्य कोई जांच पत्रावली ग्राम पंचायत उपरेडा के ग्राम विकास अधिकारी ने अपने पत्र में अंकित नही किया है।

उक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि नामान्तरकरण को दर्ज करने, उसकी जांच करने व सक्षम प्राधिकारी द्वारा उसे निर्णित करने के संबंध में राजस्थान भू राजस्व(भू–अभिलेख) नियम, 1957 के प्रावधान लागु होते है। उक्त नियमों के नियम 121(4) में अंकित हिदायतों की पालना करते हुऐ नामान्तरकरण निर्णित करने हेतु सक्षम प्राधिकारी को नामान्तरकरण के संबंध में पूर्ण जांच उपरांत नामान्तरकरण तस्दीक करना होता है लेकिन पत्रावली में अंकित तथ्यों से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत उपरेडा द्वारा अपीलाधीन नामान्तरकरण तस्दीक करते समय विधि के उक्त उपबंधों की पालना नहीं की गई है तथा अपीलाधीन आदेश विधि विरूद्ध तस्दीक किया गया है।

उपर्युक्त विवेचन के क्रम में अपीलाधीन आदेश नामान्तरकरण संख्या 337 निर्णय दिनांक 20.07.2006 द्वारा ग्राम पंचायत उपरेडा राजस्थान भू राजस्व(भू–अभिलेख) नियम, 1957 के प्रावधान की पालना नहीं कर निर्णित करने से निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण पुनः निर्णित करने हेतु तहसीलदार राशमी को प्रति प्रेषित किया जाता है। तहसीलदार राशमी मृतक खातेदार अम्बा पिता गिरधारी जाट निवासी उपरेडा के विधिक वारिसानों की विधि के सुसंगत प्रावधानों के आलेख में नये सिरे से पूर्ण जांच उपरांत निर्णय पारित करें। पत्रावली निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में भेजी जावें। तहसीलदार राशमी को निर्णय की प्रति प्रेषित की जावें।

निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक 23.02.2021 को सुनाया गया।

(सुनील शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
राशमी

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Sharma
Date: 2021.03.15 15:21:40 IST
Reason: SelfAttested